File No. 26/10/18
10/1/19
19/3/19
12/6/19
16/8/19
7/11/19
30/1/20
27/3/20
18/6/20
10/9/20
16/12/20
30/3/21
06/04/21
(आदेश)

#2018/00270

Name

Address

Subject

From To

Record File

No. 2200

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

Pooja®
OFFICE FILE

हुक्म की तामील में जारी हुए

16/2/20 पीठासीन अधिकारी ... कुमार आदि ... है
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-3-21 को पेश हो

रीडर
एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

30-3-21 प्रकरण पेश हुआ. सभा बयान की [illegible] प्राप्त। [illegible] अन्तिम सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 6/4/21 को पेश हो

6/4/21 एडवोकेट प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी सोवरन ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आ0ख0नं0 $\frac{2018}{1210}$ रकबा 2 बीघा जिसका सैटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 1562 0.32 हैक्टेयर व पुराना आ0ख0नं0 $\frac{2054}{1254}$ रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसका सैटलमेंट के दौरान नवीन ख0नं0 1660 रकबा 0.63 हैक्टेयर बनाए गये जो ग्राम बाजना तहसील बयाना जिला [illegible] है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हिम्मत, सियाराम [illegible] डी0 किशन लाल जाति गुर्जर निवासी मौ0 बाजना निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार व मृतक रघुवीर पुत्र [illegible] निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार कायम आराजी था लेकिन रघुवीर ला विला [illegible] जो प्रार्थी के नाम [illegible] सैटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी [illegible] आदेश [illegible] 13/31 दिनांक 01/02/97 से ग्राम बाजना के रिकार्ड में

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी	तारीख हुक्म
	दर्ज हुई। सैटलमेन्ट से पूर्व ग्राम पथैना की जमाबन्दी सम्वत 2032-2035 में रघुवीर पुत्र गणेशी जाति गुर्जर अंकित था लेकिन दौराने सैटलमेन्ट कर्मचारियों की सहवन भूल से प्रार्थी के नाम गणेशी के बजाय मरोली लिखा गया जिससे प्रार्थी के सरल हक तकली है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वर्तमान जमाबन्दी 2069-73 में रघुवीर पुत्र मरोली के स्थान पर रघुवीर पुत्र गणेशी दुरुस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। पत्रांक/परी/[illegible] 2020/4422 दिनांक 25/9/2020 से तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम संख्या? नगला की वर्तमान जमा० 2073-76 के खाता संख्या 209 में अंकित ख०नं० 1562/0.32, 1860/0.63 पर रघुवीर पुत्र मरोली 1/2 [illegible], [illegible], [illegible] पिसरान किशनलाल हि०वा० 3/10 [illegible] पुत्री किशन लाल हि० 1/10 रामपति पत्नी [illegible] हि० 1/10 कौम गुर्जर सा० मौजा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पुराना ख०नं० 2010/1210 रकबा 2 बीघा [illegible] नवीन ख०नं० 1562 रकबा 0.32 है० व पुराना ख०नं० 2024/1254 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसका नवीन ख०नं० 1860 रकबा 0.63 है० दौराने भू-प्रबन्ध बनाये। भू-प्रबन्ध से पूर्व उक्त सम्बन्धित रकबा ग्राम पथैना में थे परन्तु आदेशानुसार [illegible] दिनांक [illegible]/02/1997 से ग्राम पथैना [illegible] किए गए। जमा० 2032-[illegible] के खाता संख्या 15 में रघुवीर पुत्र गणेशी [illegible] का नाम सही अंकित था जो दौराने भू-प्रबन्ध रघुवीर पुत्र गलत हो गया है।		उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लगातार -

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम बाजना सम्वत 2069-2072, खसरा पत्रक ग्राम बाजना पृष्ठ सं० 393, 332. एवं ग्राम पटेआ की जमाबन्दी सम्वत 2032-35, व तहसीलदार बयाना पेशकार कार्यालय नायब तहसीलदार बयाना की टिप्पणी का गहनता से अध्ययन किया।

प्रार्थी सोबरन सिंह, रघुवीर पुत्र मर्दी को रघुवीर पुत्र गणेशी शुद्ध कराना चाहता है। यहां यह स्पष्ट है कि प्रार्थी सोबरन के पिता का नाम किशन लाल है प्रार्थी सोबरन का रघुवीर से क्या सम्बन्ध है? स्पष्ट नहीं। राजस्व अभिलेख अनुसार सोबरन सिंह व रघुवीर अन्य खातेदारान के साथ-2 सहखातेदार ही हैं क्या एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के राजस्व अभिलेख की प्रविष्टी को शुद्ध अथवा संशोधन कराने का अधिकारी है? कानूनन नहीं। अर्थात प्रार्थी सोबरन विवादित आराजी का सहखातेदार है, एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के राजस्व अभिलेख में हुई प्रविष्टि को शुद्ध अथवा संशोधन करा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

आदेश:-

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो। बाद तकमील [illegible] निर्णय आज दिनांक 06/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:22 IST
Reason: SelfAttested